

बालिका सम्बल योजना

As on Report November, 2016

1	योजना का नाम	बालिका सम्बल योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	राज्य में कोई दम्पति जिनके कि पुत्र नहीं है और एक या दो बालिका होने पर दिनांक 01-04-2007 से अपना नसबन्दी आपरेशन करा लेते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बालिका सम्बल योजना के अन्तर्गत 5 वर्ष तक की आयु (बालिका के जन्म दिनांक से दम्पति के नसबन्दी दिनांक तक) वाली प्रत्येक बालिका के नाम से 10 हजार रुपये की राशि यूटीआई म्यूचल फण्ड की सीसीपी योजना के अन्तर्गत जमा करवाते हुए उन्हें बॉण्ड उपलब्ध करवाये जायेंगे ।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	2007-2008/01-04-2007
4	लाभान्वित वर्ग	समस्त वर्ग
5	पात्रता	राज्य में कोई दम्पति जिनके पुत्र नहीं है ओर एक या दो बालिका होने पर दिनांक 01-04-2007 से अपना नसबन्दी ऑपरेशन करा लेते हैं।
6	देय सुविधाएं	यूटीआई म्यूचल फण्ड के मार्फत बॉण्ड की सुविधा ।
7	आवेदन का तरीका	चिकित्सा अधिकारी निर्धारित प्रपत्र की पूर्ति कर सम्बन्धित जिले के अतिरिक्त/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0) को भिजवायेंगे सम्बन्धित जिले के अतिरिक्त/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0) ऐसे समस्त प्रपत्रों को आवश्यक अभिलेखों के साथ जांच कर संकलित कर अतिरिक्त निदेशक (प0क0) को भिजवायेंगे।
8	आवेदन कहां किया जाए	जिस संस्थान में नसबन्दी ऑपरेशन करवाया जाता है उस संस्था के प्रभारी को।
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	यूटीआई द्वारा निर्धारित सीसीपी फार्म के साथ नसबन्दी प्रमाण पत्र, पुत्र नहीं होने का तथा कुल सन्तानों की संख्या का प्रमाण पत्र मय जन्म दिनांक।
10	निर्धारित समय-सीमा	शीघ्रताशीघ्र ।
11	सम्पर्क सूत्र	जिलों के अतिरिक्त/ उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0) के कार्यालय
12	निर्धारित सहायता/ सुविधाएं नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जिस अधिकारी से संपर्क करना है उसका नाम	जिले के अतिरिक्त / उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0) से ।
	शिकायत कैसे दर्ज करवानी है।	जिले के अतिरिक्त / उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0) से प्रार्थना पत्र में शिकायत का पूर्ण विवरण अंकित कर प्रस्तुत करे।
	शिकायत का समाधान होने की समय - सीमा	शीघ्रताशीघ्र ।

13	बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित अधिकारी से भी शिकायत का समाधान न होने पर जिस अधिकारी से सम्पर्क करना है उसका नाम	बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित अधिकारी से भी शिकायत का समाधान न होने पर अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर से सम्पर्क ।
	शिकायत कैसे दर्ज करवानी है।	अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर से प्रार्थना पत्र में शिकायत का पुर्ण विवरण अंकित कर प्रस्तुत करे।
	शिकायत का समाधान होने की समय - सीमा	शीघ्रताशीघ्र ।
14	योजना अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता क्या बैंक में जमा होगी अथवा ड्राफ्ट/ चैक के द्वारा दी जावेगी।	यूटीआई के म्यूचल फण्ड की सीसीपी योजना के अन्तर्गत जमा करवायी जाती है।
15	कैसेट जानकारी होगी कि राशि खाते में जमा हो गई है।	यूटीआई के म्यूचल फण्ड की सीसीपी योजना के अन्तर्गत राशि बालिका के नाम जमा होने पर यूटीआई द्वारा संबंधित को अकाउंट स्टेटमेंट/बॉण्ड उपलब्ध करवाया जायेगा।
16	योजना के अन्तर्गत क्या ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।	नहीं।
	यदि हाँ, तो वेबसाईट का पता	-